न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

नंबर मुकदमा:– 22/2020 दायरा दिनांक:– 9\9\2020

श्रीमती मांगीदेवी पत्नि बेगराज जाति सोनी निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू

.....प्रार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान

.....अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क(1)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितः– 1. श्री मनोज गोदारा एडवोकेट वास्ते प्रार्थीनी

2. पेरोकार राज

–: निर्णय :–

दिनांकः– 09\07\2024

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीएक्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है। कि प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 1951/1255 तादादी 2.2384 हेक्टेयर वाके रोही बीदासर जिला चूरू में जाने के लिए वर्तमान में कोई स्थायी कटाणी रास्ता नहीं है। यह खेत खसरा प्रार्थीनी के खुद का खातेदारी का खेत है। उक्त खेत को प्रार्थीनी स्वंय काश्त करती है। प्रार्थीनी के खेंत में जाने के लिए वर्तमान में कोई स्थायी रास्ता नहीं है। इस कारण प्रार्थीनी कभी किसी रास्ते से कभी किसी रास्ते से अपने खेत में पहुंचती है। कभी कभार प्रार्थीनी को उसके पाडौसी खातेदार खेत में प्रवेश नहीं करने देते है जिससे कभी कभार तो प्रार्थीनी का खेत बिना काश्त ही रह जाता है। प्रार्थीनी के खेत के पश्चिमी दिशा में खसरा संख्या 2157/1257 तादादी 1.5935 हेक्टेयर किश्म गैर मुमकिन गौचर लगता है। प्रार्थीनी कभी कभार इस गौचर भूमि से अपने खेत में प्रवेश करती है। लेकिन यह रास्ता भी स्थायी नहीं है। प्रार्थीनी को अपने खेत को काश्त करने व खेत में पशुओं को ले जाने के लिए स्थायी रास्ता नहीं होने के कारण भयंकर समस्या हो रही है। वर्तमान में प्रार्थीनी के खेत के नजदीकी कटाणी रास्ता बीदासर से श्रीडूंगरगढ जाने वाली सडक लगती है जो गैर मुमकिन गौचर के पश्चिम में लगती है। प्रार्थीनी के इस कटाणी सडक के अलावा अन्य कोई स्थायी रास्ता नहीं है। और प्रार्थीनी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:13:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

ज्यादातर आवागमन इसी गैर मुमकिन गौचर भूमि से ही होता है। वर्तमान में प्रार्थीनी बीदासर से श्रीडूंगरगढ जाने वाली सडक से फंटकर गैर मुमकिन गौचर भूमि की उतरी सींव के सहारे सहारे अपने खेत में प्रवेश करती है। यह रास्ता प्रार्थीनी के लिए सुविधाजनक है और प्रार्थीनी इस गौचर भूमि की उतरी सींव के सहारे सहारे दौ गंठा चौडा (16.50 फुट) रास्ता कायम करवानी चाहती है। प्रार्थीनी ने उक्त रास्ता को कटाणी करवाने के लिए तहसीलदार बीदासर से निवेदन किया लेकिन तहसीलदार बीदासर ने उक्त रास्ता को कटाणी करने से मना कर दिया जिससे मजबुर होकर प्रार्थीनी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है। प्रार्थीनी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी धारा 251 क (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत गैर मुमकिन गौचर भूमि में सें कटाणी रास्ता हेतु आवेदन कर रही है जिसकी वह अधिकारी है। प्रार्थीनी को उसके जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। प्रार्थीनी जमीन के बदले जमीन देने को तैयार है। अतः प्रार्थीनी को खसरा संख्या 2157/1257 तादादी 1.5935 हेक्टेयर किश्म गैर मुमकिन गौचर की उतरी सींव के सहारे सहारे दौ गंठा चौडा (16.50 फुट) रास्ता दिलवाया जाकर उसको सार्वजनिक घोषित किया जावे। आदि आदि अंकित कर प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर कटाणी करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बीदासर से मौका जांच रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार बीदासर द्वारा वांछित जांच रिपोर्ट अपने पत्रांक राजस्व/2021/212 दिनांक 26.04.2021 से प्रेषित की है। जो शामिल मिसल है। तहसीलदार बीदासर की जांच रिपोर्ट इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी वर्तमान में आवेदित रास्ता से ही आवागमन कर रही है। लेकिन यह रास्ता प्रार्थीनी का स्थाई रास्ता नहीं है। आवेदित रास्ता के अलावा प्रार्थीनी के पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा चाहे जा रहे रास्ते की उसको सख्त आवश्यकता है। प्रार्थीनी को रास्ता दिया जाना उचित है। क्योंकि प्रार्थीनी के खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु कटाणी रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है तथा आवेदित रास्ता ही प्रार्थीनी के खेत के नजदीक का कटाणी रास्ता है। प्रार्थीनी के खेत के इससे ओर कोई नजदीक कटाणी रासता नहीं लगता है। प्रार्थीनी जमीन के बदले जमीन देने हेतु सहमत है तथा प्रार्थीनी ने जमीन के बदले जमीन देने हेतु सहमति के हस्ताक्षर भू.अ.नि. की मौका रिपोर्ट में कर दिये है। प्रार्थीनी द्वारा खस[illegible]2157/1257 रकबा 1.5935 हेक्टेयर की उतरी सींव के पास पास [illegible] X 16.50 = 7144.50 वर्गफुट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:13:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner

(0.0664 हेक्टेयर) है। प्रार्थीनी इतनी ही भूमि बदले में अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1951/1255 रकबा 2.2384 हेक्टेयर में सें पश्चिमी साईड से देना चाहती है। जो भू.अ.नि. बीदासर के द्वारा नजरी नक्शा में दिखाई गई है। प्रस्तावित रास्ता भूमि में पेड, निर्माण आदि भी नहीं है। तहसीलदार बीदासर ने उक्त प्रस्तावित रास्ते को दिये जाने का प्रस्ताव दिया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थीनी की एक पक्षीय बहस सुनी गई तथा तहसीलदार बीदासर की मौका जाचं रिपोर्ट का भलीभांति अवलोकन किया गया। तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर यह आदेश पारित किया जाता है कि :–

1. तहसीलदार बीदासर की जांच रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 2157/1257 तादादी 1.5935 हेक्टेयर की उतरी सींव के पास पास कटाणी सडक से प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 1951/1255 तादादी 2.2384 हेक्टेयर में जाने के लिए 433 फुट लम्बा व 16.50 फुट चौडा (0.0664 हेक्टेयर) नया रास्ता कायम किया जावे तथा इसी अनुरूप नक्शे में तरमीम की जावे। रास्ता की भूमि का पृथक से बट्टा नंबर नियमानुसार आवंटित किया जावे तथा रास्ता की भूमि की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज की जावे।

2. तहसीलदार बीदासर की जांच रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 1951/1255 तादादी 2.2384 हेक्टेयर की पश्चिमी सींव के पास पास रास्ता के बदले में 0.0664 हेक्टेयर भूमि को गैर मुमकिन गौचर दर्ज की जावे। तहसीलदार बीदासर की रिपोर्ट व नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। खर्चा मुकदमा प्रार्थीनी स्वंय वहन करें। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sheoram Verma
Date: 2021.08.10 17:13:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner